संख्याः 3061/9-5-/2011

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
नगर विकास विभाग।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त नगर आयुक्त,**
   उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–5 **लखनऊ : दिनांक 20 जून, 2011**

विषयः समीक्षा बैठकों से संबंधित समस्त सूचनायें निदेशालय की वेबसाइट पर ही उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

मुख्यालय पर आयोजित मासिक एवं क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों के दौरान यह अनुभव किया जा रहा है कि नागर निकायों से समय से सूचना उपलब्ध नही करायी जाती है और जो सूचनायें उपलब्ध करायी जाती हैं, वे निर्धारित प्रपत्रों पर नहीं होती हैं। नागर निकायों के महत्वपूर्ण कार्यकलापों/उपलब्धियों की प्रभावी समीक्षा हेतु कुल 22 प्रपत्र निर्धारित किए गये हैं। इन्हीं प्रपत्रों पर सभी 13 नगर निगमों, 194 नगर पालिका परिषदों एवं 423 नगर पंचायतों को प्रत्येक माह की 3 तारीख तक विगत माह तक की स्थिति के अनुसार सूचना देनी होती है। इन्हीं सूचनाओं के आधार पर मासिक एवं क्षेत्रीय समीक्षा होती है।

2. प्रभावी समीक्षा हेतु शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी नागर निकायों द्वारा सूचनायें केवल वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जाएं। निदेशालय एवं शासन को भेजे जाने वाली सभी 22 प्रपत्रों पर सूचनायें केवल निदेशालय की वेबसाइट (localbodies.up.nic.in) पर ही ग्राह्य की जायेंगी और किसी माध्यम जैसे ई–मेल, हार्ड कॉपी,, डाक, पत्र वाहक, पेन ड्राइव, सी0डी0 इत्यादि के माध्यम से स्वीकार नहीं की जाएंगी।

3. अस्तु, मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा हुई है कि समस्त जिलाधिकारी, यह सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त निर्देशों का अधिशासी अधिकारियों (नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत) द्वारा पूर्णतः पालन किया जाये। जो अधिशासी अधिकारी वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध नहीं करायेंगें तो यह मानते हुए कि उनके द्वारा सूचना नहीं भेजी गयी है, उनके विरूद्ध शासन के आदेशों का अनुपालन न करने के लिए कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव

संख्याः 3061 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (द्वारा जिलाधिकारी), उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव